संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्यप्रदेश

क्र-क/4/शिका/सेल.व्ही.सी./180/14 /2017/ 1265 भोपाल दिनांक 9/8/17

डॉ.व्ही.एन.झरबड़े,
चिकित्सा अधिकारी,
शासकीय चिकित्सालय आमढ़ाना,
तहसील घोड़ाडोंगरी,
जिला बैतूल म.प्र.।

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बैतूल, म.प्र.।
विषय:–विभागीय जांच–**डॉ.व्ही.एन.झरबड़े, चिकित्सा अधिकारी, शासकीय चिकित्सालय, आमढ़ाना, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल** के आरोप पत्र के संबध में।

–00–

आपको सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम **14 (3)** के अन्तर्गत आपके विरूद्ध संलग्न आरोप पत्र में अंकित कदाचरण के लिये विभागीय जांच संस्थित किया जाना प्रस्तावित है। जिसका उल्लेख संलग्न आरोप पत्र में दिया गया है। अभिकथन जिस पर आरोप आधारित है, उनका विवरण संलग्न अथिकथन पत्र में दिये गये अनुसार है। अभिकथन पत्र में अभिलेखों की सूची तथा गवाहों की सूची जिन पर आरोप आधारित है, उनका विवरण संलग्न अभिकथन पत्र में दिये गये अनुसार है। अभिकथन पत्र में अभिलेखों की सूची तथा गवाहों की सूची जिनके आधार पर आरोप प्रस्तावित है, वह भी संलग्न है।

2. **आपसे इस पत्र के द्वारा यह अपेक्षा की जाती हैं कि पत्र मिलने के 15 दिवस के अन्दर आप अपना प्रतिवाद उत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजे साथ ही यह बताये कि :–**

(अ) क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते है ?
(ब) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किसी गवाह आदि का नाम देना चाहते है तो उन गवाहों की सूची पूर्ण पते सहित भेजे।
(स) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किन्ही अभिलेखों को प्रस्तुत करना चाहते है तो उन अभिलेखों की सूची विस्तृत जानंकारी के साथ प्रस्तुत करें।
(द) यदि आप आरोप पत्रादि के साथ संलग्न अभिलेखों का अथवा उससे संबंधित किसी अन्य दस्तावेज का अवलोकन करना चाहते हैं तो उन अभिलेखों की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

3. आपको यह भी सूचित किया जाता हैं कि यदि आपके बचाव पक्ष का लिखित उत्तर नियम समयावधि15 दिवस के अन्दर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बैतूल के माध्यम से प्राप्त नहीं होता हैं तो आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया जा सकेगा।

4. इस पत्र के प्राप्त होने की अभिस्वीकृति अविलंब भेजने की व्यवस्था करें।

संलग्न :– 1. आरोप पत्र, 2. अभिकथन पत्र, 3. अभिलेखों की सूची, 4. गवाहों की सूची,

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित.

(डॉ.जे.पी.खरे)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश.....2

क्रमांक/4/शिका/सेल.व्ही.सी./180/14 /2017/ भोपाल दिनांक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्री डी.के.केशरवानी, विधि सलाहकार–4, लोकायुक्त कार्यालय म.प्र. लोकायुक्त भवन भोपाल।
2. सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल, स्थानीय कार्यालय।
5. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें भोपाल संभाग भोपाल म.प्र.।
6. कलेक्टर जिला बैतूल म.प्र.।
7. मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बैतूल म.प्र. की ओर भेजकर लेख है कि जारी आरोप पत्रादि की प्रति **डॉ.व्ही.एन.झरबड़े, चिकित्सा अधिकारी, शासकीय चिकित्सालय, आमढ़ाना, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल** को तामील कराते हुये तामीली रिपोर्ट एवं संबंधित से प्रतिवाद उत्तर शीघ्र प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावें ।
7. प्रभारी एम.आई.एस.सेल स्थानीय कार्यालय ।
8. आदेश नस्ति।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्यप्रदेश

.....3.....

::आरोप पत्र::

डॉ.व्ही.एन.झरबड़े, चिकित्सा अधिकारी, शासकीय चिकित्सालय, आमढ़ाना, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के तहत निम्नलिखित आरोप अधिरोपित किये जाते है :–

आरोप कमांक–1

यह कि आप डॉ.व्ही.एन.झरबड़े, चिकित्सा अधिकारी, शासकीय चिकित्सालय, आमढ़ाना, तहसील घोड़ाडोंगरी,जिला बैतूल, में पदस्थी के दौरान आपके द्वारा श्री सजल आत्मज श्री हिरदे गौड़ के नाम से फिटनेस प्रमाण पत्र दिनांक 10.05.2011 को जारी किया गया था जबकि उक्त व्यक्ति की मृत्यु दिनांक 23.12.2006 को खदान में काम करते हुये दुर्घटना से हो गई थी।

आपके द्वारा मृत व्यक्ति का स्वस्थता प्रमाण–पत्र जारी किया जाकर अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती गई है एवं कदाचरण किया गया है।

इस प्रकार आपने उक्त कृत्य करके मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (3) के उप नियम (i) (ii) (iii) का उल्लंघन कर आपने स्वंय को अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

4.....

:: अभिकथन पत्र ::

डॉ.व्ही.एन.झरबड़े, चिकित्सा अधिकारी, शासकीय चिकित्सालय, आमढ़ाना, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के तहत निम्नलिखित अभिकथन अधिरोपित किये जाते है :–

आरोप कमांक – 1

यह कि आप **डॉ.व्ही.एन.झरबड़े, चिकित्सा अधिकारी, शासकीय चिकित्सालय, आमढ़ाना, तहसील घोडाडोंगरी,जिला बैतूल** में पदस्थी दौरान आपके द्वारा श्री सजल आत्मज श्री हरदे गौड़ श्रमिक जो कि बैतूल में उतरपुर खदान कमांक 2 में कार्यरत था जिसकी मृत्यु दिनांक 23.12.2006 को खदान में काम करते हुये दुर्घटना के कारण हो गई थी का फिटनेस प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र दिनांक 10.06.2011 को जारी किया गया है। उक्त मृत्यु एवं फिटनेस प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।

श्री कदीर मोहम्मद आत्मज श्री सगीर मोहम्मद निवासी शांति नगर जिला बैतूल द्वारा लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में शिकायत की गई। **(परिशिष्ट अ)** शिकायत की जॉच लोकायुक्त कार्यालय द्वारा मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल से कराई गई। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल के पत्र कमांक 26180 दिनांक 04.10.2016 द्वारा जॉच प्रतिवेदन संचालनालय को प्रेषित किया गया **(परिशिष्ट ब)** जॉच में दोषी पाये जाने के फलस्वरूप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल के पत्र कमांक 23811 दिनांक 12.09.2016 को डॉ.व्ही.एन.झरबड़े चिकित्सा अधिकारी को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। **(परिशिष्ट स)** कारण बताओं नोटिस का प्रतिवाद उत्तर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल को दिया गया। जिसमें आपके द्वारा आपनी गलती स्वीकार की गई है। **(परिशिष्ट द)**

लोकायुक्त कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार संचालनालय के पत्र कमांक 402 दिनांक 01.03.2017 द्वारा डॉ.व्ही.एन.झरबड़े चिकित्सा अधिकारी को संचालनालय स्तर से भी कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। **(परिशिष्ट इ)** कारण बताओं नोटिस का प्रतिवाद उत्तर आपके द्वारा दिनांक 23.03.2017 को संचालनालय को प्रेषित किया गया। **(परिशिष्ट ई)** कारण बताओं नोटिस के प्रतिवाद उत्तर में आपके द्वारा अपना उक्त कृत्य स्वीकार किया गया।

इस प्रकार आपने मृत व्यक्ति का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया है जो कदाचरण है आपने उक्त कृत्य कर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (3) के उप नियम (i) (ii) (iii) का उल्लंघन कर स्वयं को अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

.....5

:: अभिलेखों की सूची ::

डॉ.व्ही.एन.झरबड़े, चिकित्सा अधिकारी, शासकीय चिकित्सालय आमढ़ाना, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के तहत अधिरोपित आरोप के संबंध में अभिलेखों की सूची :–

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल के पत्र कमांक 26180 दिनांक 04.10.2016 द्वारा प्रेषित जॉच प्रतिवेदन।
2. संचालनालय द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस 402 दिनांक 01.03.2017।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतुल द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस कमांक.23811 /दिनांक 22.09.2016 ।
4. डॉ.झरबड़े द्वारा जारी किया गया फिटनेस प्रमाण–पत्र।
5. श्री सजल हिरदे गौड़ श्रमिक का मृत्यु प्रमाण–पत्र।
6. डॉ.व्ही.एन.झरबड़े, द्वारा प्रेषित उत्तर।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

गवाहों की सूची

डॉ.व्ही.एन.झरबड़े, चिकित्सा अधिकारी,शासकीय चिकित्सालय आमढ़ाना,तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के तहत गवाहों की सूची निम्नानुसार है :–

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बैतूल।
2. शिकायतकर्ता श्री कदीर मोहम्मद आ.श्री सगीर मोहम्मद निवासी शांति नगर जिला बैतूल म.प्र.।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

Form No. 4
See Rule 23 (3)

CAL CERTIFICATE OF RETURN TO DUTY

ure of Government Servants _____

DR VN Jharbade _____ Civil Surgeon / Staff Surgeon / Authorised

dical Attendent of PHC Amadhana _____ / Registered Medical

ctitioner here by certify that I have careful examined Shri Sajal S/o Shri Hiralal age about 51 years ex. worker in Chhatrapur II mine o&o G.M. Coal Ltd. _____ Whose Signature

en above and find that he she recovered from his / her illnes and is now fit to resume duty in ernment Service I also certify that before arriving at this decision, I have examined that original lical certificates of the case or certified copies on which leave was granted or extended and have en these in to consideration in ariving at my dicision.

He was suffering from fever & diarrhea from 05.05.11 and he was admitted in PHC from 05.5.11 to 10.05.11

10/5/11

Dr. V.N.JHARBADE
Medical Officer
M.B.B.S. R.N.6324
Govt.Hospital
P.H.C. AMDHANA Distt Betul
Civil Surgeon Statt Surgeon /
Autherised Medical Attendant
Registered Medical Practioner

(पृ) 19

19

(पंजीकरण

तहसील

राज्य

नाम

लिंग पुरुष 23-12-2006

पंजीकरण क्र.

जावक

Attested

[illegible]

परिशिष्ट अ ① ③

श्रीमान लोकायुक्त कार्यालय
भोपाल म.प्र.

लोक आयुक्त कार्यालय म.प्र. भोपाल
4876/C/13
12-3-14

विषयः डॉ. व्ही.एन. झरवड़े मेडिकल आफिसर एम.बी.बी.एस. आर. एन. 6324 शासकीय चिकित्सालय आमढाना तह. घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर धोखाधड़ी, जालसाजी करते हुए कामगार छतरपुर 2 खदान में कार्यरत मृत व्यक्ति सजल आ. हिरदे की मृत्यु के कई वर्ष पश्चात उसके नाम से जाली मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने व लखमीचंद आ. श्री महादेव कुर्मी निवासी भयावाड़ी घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल म.प्र. के जेल में होने के दौरान उसके नाम से मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किए जाने के सम्बंध में जांच व कार्यवाही बावत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयांर्तत निवेदन है कि मैं प्रार्थी कदीर मोहम्मद आ. श्री सगीर मोहम्मद आयु वयस्क निवासी– शांति नगर, बैतूल म.प्र. का निवासी हूँ तथा समाज का संभ्रात जागरूक नागरिक होकर समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरूद्ध कार्यवाही बावत प्रयासरत हूँ।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला बैतूल म.प्र. के जारी पत्र क्रमांक/पु.अ./बै/रीडर/107/07 दिनांक 25/06/07 के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि सजल वल्द हिरदे कामगार छतरपुर 2 खदान में काम करते हुए दिनांक 23/12/06 को कोयला गाड़ी की चेन खोलने की ड्यूटी करते वक्त दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। जबकि डॉ. व्ही.एन. झरवड़े मेडिकल आफिसर एम.बी.बी.एस. आर.एन. 6324 शासकीय चिकित्सालय आमढाना जिला बैतूल द्वारा उक्त मृत व्यक्ति सजल

निरन्तर.....2

22

शिकायत 9-12-14 को प्राप्त किया लोकायुक्त कार्यालय

कदीर मो. द्वारा
12/3/14

का ड्यूटी पर पुनः उपस्थित होने के सम्बंध में जो मेडिकल सर्टिफिकेट दिनांक 10/05/11 को जारी किया गया है उसमें उसे फिट बताया गया है जो कि पूर्ण रूप से षड़यंत्रपूर्वक व कूटरचित होकर जांच का विषय है।

इसी प्रकार अधिवक्ता के माध्यम से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत लोक सूचना अधिकारी कार्यालय अधीक्षक जिला जेल बैतूल म.प्र. से आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसके अर्न्तगत सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा कार्यवाही करते हुए अपने पत्र क्रमांक 631/वारन्ट/13 दिनांक 24/04/13 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि लखमीचंद आ. श्री महादेव कुर्मी निवासी भयावाड़ी घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल म.प्र. थाना शाहपुर के अपराध क्रमांक 126/10 धारा 304बी, 34 भा.द.वि. के अर्न्तगत दिनांक 01/07/2010 को जेल में दाखिल हुए थे तत्पश्चात दिनांक 21/10/10 तक जेल में रहने के उपरान्त माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय के आदेशानुसार दिनांक 21/10/2010 को उन्हें रिहा किया गया था।

श्री लक्ष्मीचंद द्वारा अपने विभाग में जिस मेडिकल दस्तावेज को प्रस्तुत किया गया वह डॉ. व्ही.एन. झरवड़े मेडिकल आफिसर एम. बी.बी.एस. आर.एन. 6324 शासकीय चिकित्सालय आमढाना जिला बैतूल द्वारा जारी था, जिसमें उन्हें दिनांक 24/06/2010 को उनके पास उपचारत होना व्यक्त किया गया है जिसमें उनकी मुद्रा व हस्ताक्षर प्रमाण स्वरूप है, चूंकि श्रीमान अधीक्षक महोदय जिला जेल बैतूल से प्राप्त प्रमाणित जानकारी अनुसार उक्त दिनांक के पश्चात

निरन्तर...3

वर्णित दिनाकों को लख्मीचंद जेल में रहे हें यह सर्वविदित है कि बीमार व्यक्ति को जेल में रखने से पूर्व उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाता है जिससे स्पष्ट है कि डॉ. व्ही.एन. झरवड़े द्वारा जारी प्रमाणपत्र फर्जी/संदेहास्पद है जिसकी जांच कराई जाना अत्यंत आवश्यक है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि **डॉ. व्ही.एन. झरवड़े मेडिकल आफिसर एम.बी.बी.एस. आर.एन. 6324 शासकीय चिकित्सालय आमढाना जिला बैतूल** के विरूद्ध उनके द्वारा शासकीय सेवा में एक लोकसेवक के रूप में पदस्थ रहते हुए अपने पद का दुरूपयोग कर किए गए अवैधानिक कृत्य के सम्बंध में त्वरित जांच कर कठोर वैधानिक कार्यवाही करें एवं आरोप प्रमाणित की दशा में आरोपी को उसके पद से हटाए जाने के सम्बंध में त्वरित कार्यवाही की जावे। जो जनहित मे व प्रशासनिक हित में उचित होगा।

दिनांक /03/2014

संलग्न– उपरोक्तानुसार

प्रार्थी

कदीर मोहम्मद
आ. श्री सगीर मोहम्मद
निवासी– शांति नगर,
बैतूल

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बैतूल

क्र./स्था./2016/26180 बैतूल, दिनांक 4.10.2016

प्रति,

माननीय स्वास्थ्य आयुक्त महोदय,
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल

विषयः— डॉ. विश्वनाथ झरबड़े चिकित्सा अधिकारी प्राथ.स्वा.केन्द्र डेहरी आमढाना सामु.स्वा.केन्द्र घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल की लोकायुक्त में दर्ज शिकायत क्र./जा.प्र./180/2014 भोपाल, दिनांक 24.08.2016 में मार्गदर्शन बाबत्।

संदर्भः— लोकायुक्त कार्यालय म.प्र. भोपाल के विधि सलाहकार—4 के पत्र पत्र क्र./8084/जा.प्र./180/2014 दिनांक 19.02.2016, क्र./2991/जा.प्र./180/2014 भोपाल दिनांक 04.08.2016 एवं पत्र क्र./3346/जा.प्र./180/2014 भोपाल दिनांक 24.08.2016

---00---

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है डॉ. व्ही.एन. झरबड़े चिकित्सा अधिकारी प्राथ.स्वा. केन्द्र डेहरी आमढाना सामु.स्वा.केन्द्र घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा दिनांक 10.05.2011 को मृत व्यक्ति श्री सजल वल्द हृदय गौंड कामगार छतरपुर खदान क्र. 02 का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया गया। माननीय लोकायुक्त द्वारा मुझे दिनांक 19.02.2016, 04.08.2016 एवं 24.08.2016 को पत्र लिखकर कहा गया कि डॉ. विश्वनाथ झरबड़े, चिकित्सा अधिकारी द्वार जो फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया गया है वह किस आधार पर फर्जी प्रमाण पत्र नहीं होने का उल्लेख किया गया है। जांच सहित समस्त रिपोर्ट निम्नानुसार हैः—

1. माननीय लोकायुक्त द्वारा दिनांक 24.08.2016 पत्र क्र./3346/जा.प्र./180/2014 में मुझे मेरे द्वारा नियुक्त ओ.आई.सी. डॉ. आर.के. धुर्वे जिला स्वास्थ्य अधिकारी को मेरी ओर से माननीय के समक्ष उपस्थित कर मृत व्यक्ति सजल के नाम से दिनांक 10.05.2011 को जारी फिटनेस प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि उनके अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। इस कारण जांच प्रतिवेदन में तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग की गई थी। तब माननीय विधी सलाहकार द्वारा डॉ. झरबड़े द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र की कॉपी तथा एस.पी. महोदय द्वारा जांच में रजिस्ट्रार, जन्म—मृत्यु से प्राप्त मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया। साथ ही तथ्यात्मक प्रतिवेदन सहित माननीय महोदय के समक्ष 06.09.2016 समय प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया था।

2. दिनांक 06.092016 को माननीय श्री डी.के. केशरवानी, विधी सलाहकार लोकायुक्त को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। उसमें माननीय द्वारा आदेशित किया गया था कि आपके द्वारा तथाकथित डॉ. विश्वनाथ झरबड़े के विरूद्ध क्या कार्यवाही गई है के संबंध में आप कार्यवाही से मुझे दिनांक 06.10.2016 को कार्यवाही रिपोर्ट सहित आप स्वयं एवं आपके ओ.आई.सी. सहित उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया है। अन्यथा आप दोनो पर डॉ. विश्वनाथ झरबड़े को संरक्षण देने का दोषी मानते हुये धारा 120 के तहत कार्यवाही करने हेतु माननीय लोकायुक्त द्वारा कार्यवाही करने की बात कही गई है।

06 OCT 2016
2022
05/10/16

07/10/16

3. डॉ. विश्वनाथ झरबड़े द्वारा दिनांक 10.05.2011 को मृत व्यक्ति का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया गया है एवं स्पष्टीकरण में स्वीकार किया गया है कि जारी किया गया फिटनेस प्रमाण पत्र फर्जी नहीं है मेरे द्वारा ही मृतक सजल का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इसमें मेरे खिलाफ राजनीतिज्ञ साजिश की गई है। डॉ. झरबड़े द्वारा निवेदन किया गया है कि इस वजह से मुझे 11.02.2016 को हार्ट अटैक आया था तब से अभी तक मैं पूर्णतः स्वस्थ नहीं हूँ मुझे माफ करने की कृपा करें।

अतः उक्त प्रकरण में उचित मार्गदर्शन एवं कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

संलग्नः–

1. डॉ. व्ही.एन झरबड़े जारी किया गया सजल वल्द हृदय गोंड का फिटनेस प्रमाण पत्र।
2. पुलिस अधीक्षक बैतूल द्वारा छतरपुर खदान में हुई दुर्घटना का निरीक्षण की छायाप्रति।
3. जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
4. डॉ. व्ही.एन.झरबड़े द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण की छायाप्रति।
5. डब्ल्यूसी.एल. वरिष्ठ अधिकारी छतरपुर खदान क्र.02 द्वारा जांच अधिकारी बैतूल को प्रस्तुत किया गया प्रतिवेदन की छायाप्रति।
6. डॉ. प्रदीप मोजेस, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल को लोकायुक्त कार्यालय द्वारा जारी नोटिस की संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

C181

प्रतिलिपि:- 1. विधि सलाहकार-4
श्री डी.के. केशरवानी
लोकायुक्त कार्यालय
मध्य प्रदेश लोकायुक्त
भोपाल।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला बैतूल

भालय, मुख्य चिकित्सा थ्य अधिकारी, जिला बैतूल

/स्था./2016/23811 बैतूल, दिनांक 12/9/16

(13)

(परिशिष्ट स)

प्रति,

डॉ0व्ही0एन0झरबडे,
चिकित्सा अधिकारी ,प्रा0स्वा0के0डेहरी आमढाना

द्वारा :– खण्ड़ चिकित्सा अधिकारी,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घोडाडोंगरी जिला बैतूल।

संदर्भः– आपके द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनॉक 10.5.2011.

कारण बताओ सूचना पत्र

माननीय लोकायुक्त, में प्राप्त शिकायत के अनुसार आपके द्वारा सजल वल्द हृदय गोंड कामगार खदान कमॉक–2 छतरपुर,का दिनॉक 10.5.2011 को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया गया । जबकि मृतक श्री सजल की मृत्यु दिनॉक 23.12.2006 को खदान काम करते हुए दुर्घटना में हो चुकी है। यह आपकी पहली लापरवाही नहीं है। इसके पूर्व में भी आपके द्वारा जेल मे सजा काट रहे व्यकित श्री लक्ष्मी चद कुरमी /महादेव कुरमी का मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया गया है। आप यह स्पष्ट करें कि मृत्य व्यक्ति सजल का फिटनेस प्रमाण पत्र किस आधार पर जारी किया गया है । आप अपना स्पष्ट उल्लेख पत्र प्राप्ति के तीन दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा आपके विरूद्व कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा उच्चाधिकारियों से की जावेगी जिसके लिए आप स्वयं जवाबदार रहेंगें।

संलग्न :–संदर्भित फिटनेस प्रमाण पत्र की छाया प्रति।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला बैतूल

पृ.क्र./स्था./2016/23812–13 बैतूल, दिनांक 12/9/16

प्रतिलिपी :–

1. माननीय विधि सलाहकार महोदय कार्यालयं लोकायुक्त भोपाल।
2. खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घोडाडोंगरी जिला बैतूल।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला बैतूल

परिशिष्ट 8

प्रति,

श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महोदय,
अधिकारी बैतूल जिला बैतूल

विषय– कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने बावत्।
संदर्भः– आपका पत्र क./स्था./2016/23811 बैतूल दिनांक 12.09.2016।

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि व्यक्ति सजल पुत्र श्री हृदय गौंड जो छतरपुर खदान में कार्यरत था की मृत्यु दिनांक 23/12/2006 को हो चुकी थी। इसमें मेरे यह कथन है कि पत्रकार विनोद जगताप द्वारा मुझे जानबूझकर दूसरे व्यक्ति के द्वारा मृत व्यक्ति के नाम से फिटनेश प्रमाण पत्र **बनवाया** गया। क्योकि मृत व्यक्ति मेरे पास सर्टिफिकेट बनाने कैसे आ सकता है। यह मुझे फंसाने के लिये किया गया था और यह भी कहा था कि तू मुझे 10,000/– रूपये दे नही तो मै तुमको फंसा दूगा और बदनाम कर दूगॉ। इस तारतम्य में मेरी पत्नी को नगरपालिका सारनी महिला सीट जो कि एस.सी. की थी जो बीजेपी के टिकट लेकर चुनाव में लडने के लिये तैयारी करने लग गई थी, ताकि हम लोग बदनाम हो जाये और बीजेपी की टिकट न मिले। यह साजिश जानबूझकर के पत्रकार विनोद जगताप ने की थी।

अतः महोदय से निवेदन है कि मेरे द्वारा जो मेडिकल सर्टिफिकेट दिये गये जो पूर्णतः सही थे। मृत व्यक्ति का प्रमाण पत्र विनोद जगताप ने मेरे को फसाने के लिये बनाया गया था जो कि पूर्व नियोजित साजिश थी।

अतः महोदय जी से निवेदन है कि इस पत्र का जवाब समय पर नही दे पाया क्योकि **मुझे** 11/02/2016 को हार्ट अटैक हो गया था। जबकि यह पूरा प्रकरण मैने पूर्ण 03/02/2016 को कर लिया गया था। जिसकी छायाप्रति संलग्न है। मेरे को 11/02/2016 को मेरी एजियोप्लास्टी हुई जिसका इलाज मैने डॉ. पंकज मनोरिया भोपाल में किया गया जिसकी कॉपी संलग्न है। आज भी दिनांक 04/08/2016 से बी.पी. अधिक होने के कारण मेडिकल अवकाश पर हूँ।

अतः महोदय जी से पुनः निवेदन है कि मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और मुझे माफ करने की कृपा करे।

आवेदक

डॉ.विश्वनाथ झरबडे
मेडिकल ऑफीसर
प्रा.स्वा.केन्द्र डेहरी आमढाना
जिला बैतूल म.प्र.
मो. 9425610662

(परिशिष्ट - इ)
48

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्रमांक / 4 / शिका / सेल.व्ही.सी. / 180 / 14 / SCN / 2017 / 402 भोपाल, दिनांक 01-3-2017

प्रति,

डॉ.व्ही.एन. झरबड़े,
चिकित्सा अधिकारी,
शासकीय चिकित्सालय आमढाना,
तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल(म0प्र0)

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बैतूल।

विषय:–कारण बताओं नोटिस विरूद्ध–**डॉ.व्ही.एन.झरबड़े, चिकित्सा अधिकारी, शासकीय चिकित्सालय आमढाना, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल** (म0प्र0)।

–00–

यह कि आप डॉ.व्ही.एन. झरबड़े, चिकित्सा अधिकारी, के पद पर शासकीय चिकित्सालय आमढाना, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल में पदस्थ है।

यह कि आपके द्वारा श्री सजल के नाम से फिटनेस प्रमाण–पत्र दिनांक 10.05.2011 को जारी किया गया था। जबकि उक्त व्यक्ति की मृत्यु दिनांक 23.12.2006 को खदान में काम करते हुये दुर्घटना से हो गई थी।

उक्त प्रकरण से सबंधित श्री कदीर मोहम्मद आत्मज श्री सगीर मोहम्मद निवासी शांति नगर, बैतूल द्वारा लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में शिकायत की गई। शिकायत की जॉच लोकायुक्त कार्यालय द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल से कराई गई। बैतूल से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में आपको मृत व्यक्ति का स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी करने का दोषी पाया गया है।

इस प्रकार आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम–3 के उपनियम, एक के खण्ड (i)(ii)(iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।

.....2

49

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बैतूल के माध्यम से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 10 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे? यदि आपका उत्तर निर्धारित समय–सीमा में प्राप्त नही होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

<u>स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित</u>

(डॉ.राजीव सक्सैना)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

पृ.क/4/शिका/सेल.व्ही.सी./180/14/SCN/2017/ 403 भोपाल, दिनांक 01-3-2017

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री डी.के.केशरवानी, विधि सलाहकार–4, लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश लोकायुक्त भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 6925/ज.प्र./180/14 दिनांक 23.12.16।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय, भोपाल।
3. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र. स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. उप संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, गोपनीय/विज्ञप्त शाखा/लीगल स्थानीय कार्यालय।
5. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल म0प्र0 की ओर लेख है की **डॉ.व्ही.एन. झरबड़े, चिकित्सा अधिकारी, शासकीय चिकित्सालय आमढाना, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल** को जारी कारण बताओं नोटिस की तामिली रिर्पोट एवं प्रतिवाद उत्तर पर अपना अभिमत अंकित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
7. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइट पर अपलोड करावें।
8. आदेश नस्ती ।

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

कार्यालय प्राथमिक [illegible]

स्था./क्र 30 /स्वा[illegible] 23.3.17

श्रीमान लोकायुक्त श्री डी.के. केसरवानी विधि सलाहकार--4
म.प्र. लोकायुक्त भवन भोपाल

द्वारा – श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल।

विषय : कारण बताओं नोटिस विरूद्ध--डॉ. व्ही.एन. झरबड़े, चिकित्सा अधिकारी, शासकीय चिकित्सालय आमढाना, तहसिल घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल म.प्र. द्वारा स्पष्टिकरण देने बाबत।

संदर्भ : आपका पत्र क्र. अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल का पत्र क्र /4/शिका/सेल.व्ही.सी./180/एस.सी.एन./2017/402/ भोपाल, दिनांक 01.03.2017।

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ मे मेरा पुनः निवेदन है कि प्रकरण वर्ष 2011 का होना बतलाया गया है जिसमे मेरे द्वारा मृतक सजल पिता हृदय गोंड छतरपुर खदान क्र 2 पाथाखेड़ा जिसकी मृत्यु 23.12.2006 को होना व मेरे हाथ फिटनेस प्रमाण पत्र 10.05.2011 को जारी करने का लेख कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय के पत्र क्र/जन शिकायत/2017 /5793 बैतूल दिनांक 06.03.2017 को पत्र में लेख किया गया है।

1. मेरा यह कथन है कि प्रकरण काफी पुराना 2011 का है जिसके सभी दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध नही हैं। मेरे द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने में पूर्ण सुक्ष्मता पारदर्शिता बरतते हुये शासकीय नियमों का पालन किया गया। जिसमें मैने प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व नाम, पिता का नाम, उम्र, पता पूछा जिसकी तस्दीक मात्र उपस्थित होने वाले व्यक्ति द्वारा जो बतलाया गया वही सही होती है फिर भी मैने उसके फोटो परिचय पत्र से न सिर्फ उसके द्वारा दी गई जानकारी बल्की उसकी फोटो व चेहरा मिलान कर पुष्टि होने पर प्रमाण पत्र जारी किया इतने [illegible] के बाद यदि मेरी गल्ती समझ में आती है तो उस नितांत मानवीय त्रुटी मानकर एक और मोक्ष मुझे दिया जावे मै प्रमाण पत्र बनाना बंद कर दूँगा ताकि भविष्य में ऐसी त्रुटि न हो।
2. उपरोक्त पत्र में यह लेख किया है कि इस मेडिकल प्रमाण से लोकहित मे आज दिनांक तक कोई नुकसान नही हुआ हैं। मेरा कथन है कि ऐसा होने से रोके जाने के प्रयास हेतु वह व्यक्ति जहाँ जिस विभाग में कार्यरत् था के उक्त अवधी के सत्यतों का भुगतान रोकने बाबत् पत्र भी जारी किया जाना उचित होगा अन्यथा साप निकलजाने पर लकीर पीटने की कार्यवाही के समान होगा।
3. उक्त पत्र में यह भी लेख है कि प्रमाण पत्र बाट रहे लोगों का एक गिरोह कार्य कर रहा है। संभव वह यह धारणा सच हो क्योकि मै मातृ एक मोहरा हूँ मेरे प्रकरण में शिकायतकर्ता श्री कादिर मोहम्मद आत्मज सागिर मोहम्मद निवासी बैतूल एवं पत्रकार विनोद जगताप निवासी सारणी जिनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सीधा संबंध मुझे मृतक से प्रतीत नही होता जॉच को इस दिशा मे ले जाने की आवश्यकता मे समझता हूँ ऐसी स्थिति में पूर्ण रूप से हॉ संभव सहयोग की प्रयास करने के लिये वचन बद्ध रहूँगा।
4. मुझे प्रथम दृष्टया श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल द्वारा जॉच में सिर्फ प्रमाण पत्र जारी करने का दोषी पाया आपको प्रेषित पत्र क्र./शिक/2016/28038 बैतूल दिनांक 24.10.2016 यहाँ मै दूसरी अधिकारी मानवीय त्रुटी स्विकार करता हूँ कि मै अपने प्रशासनिक समयवधी को किन्ही कारणो वश भूल गया जिसके लिये पुनः माफी मांगता हूँ।
5. पश्चात समय समय पर आपके द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नाम से इस प्रकरण बाबत पत्र व्यवहार किया अ क्र./3683/जा.प्र/180/ 2014 दिनांक 09.09.2016 इत्यादि जो जिसके पालन में संचालनालय भोपाल स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल एस.पी. बैतूल को विभिन्न स्तर पर जॉच कर प्रतिवेदन भे

अवगत कराने का लेख किया गया जो आज तक अप्राप्त है। इस प्रकार समय समय पर आई.आई.सी. तत्याथम दस्तावेजो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुये होगें मेरा निवेदन है कि प्रकरण को यदि प्रमाणित होता हो तो एक गंभीर मानवीय त्रुटी मानकर अथवा दोष सिद्ध न होता हो तब भी बंद कर एक मौका प्रदाय किया जावे मै आभारी रहूँगा।

6. आपके पत्र क्र/6996/जा प्र/180/2014 भोपाल दिनांक 19.10.2016 में जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को संबोधित है मे मेरे द्वारा श्री लक्ष्मी चन्द्र विद्युत कर्मी को दिनांक 31.06.2010 को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का लेख है जबकि यह कथन है कि उक्त व्यक्ति 01.07.2010 से 21.10.2010 तक अभिरक्षा में बंद था यहाँ भी नियमानुसार काहर्यवाही की गई व संभव है वह व्यक्ति किसी प्रकार के पेरोल पर स्वास्थ्य खराब होने पर मेरे पास आया किन्तु हर व्यक्ति की भाती इसके बारे में भी मेरे संज्ञान में यह नही था न लाया गया था वह अभिरक्षा में बंद हैं।

7. प्रकरण काफी समय से विवेचना में है जिसमें आपके द्वारा मुझे (डॉ वि एन झरबड़े), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल एवं ओ.आई सी द्वारा सरक्षण दिये जाने के कारण उन्हें दंडित करने व मुझे उनके द्वारा दंडित न करने का लेख है मेरा निवेदन है कि किसी प्रकार की कार्यवाही न होना की प्रासंगिकता यह दर्शाती है कि प्रकरण में दोष सिद्ध नही होता है अतः मेरा पुनः निवेदन है कि इस विषाय बिन्दु को यही अथवा दोष सिद्ध होने पर लघुतम शस्ती ओरोपित कर समाप्त करना उचित होगा। वैसे पूरे प्रकरण में मै तकनीकि रूप से अपने आपको दोषी नही मानता हूँ सत्यवचन निष्ठापूर्वक अनतिम रूप से यही मेरा कथन है कि जो अनन्तिम रूप मे अवलोकार्थ एवं आवयक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रार्थी
डॉ. व्ही. एन. झरबड़े
(मेडिकल ऑफिसर)
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आमढाना
विकास खण्ड घोड़ाडोगरी

Medical Officer
Primary Health Center
Amdhana Ghoradongri, Dist. Betul
Date .....

प्रतिलिपि : (सादर सूचनार्थ प्रेषित)

1. श्रीमान स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र. स्थानीय कार्यालय भोपाल।
2. श्रीमान अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. क्षेत्रीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें भोपाल।
4. श्रीमान कलेक्टर महोदय बैतूल ।

प्रार्थी
डॉ. व्ही. एन. झरबड़े
(मेडिकल ऑफिसर)
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आमढाना
विकास खण्ड घोड़ाडोगरी

MEDICAL OFFICER
Primary Health Center
Amdhana Ghoradongri, Dist. Betul
Date.....